न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, दांतारामगढ जिला सीकर

बइजलास अशोक कुमार, आर.ए.एस

प्रकरण संख्या 43/2017/251–ए आरटीए

1. नंदाराम पुत्र लालाराम
2. लिछमणराम पुत्र लालाराम
3. भंवरीदेवी पत्नि लालाराम

समस्त जाति मेघवंशी (बलाई) निवासीगण गुवारडी तहसील दांतारामगढ जिला सीकर।

–प्रार्थीगण

ब ना म

1. मंगलाराम पुत्र श्री बालूराम
2. मोहनलाल पुत्र श्री बालुराम (मृतक)–
   - 2/1. श्योनीदेवी पत्नि स्व. मोहनलाल
   - 2/2. पन्नालाल पुत्र स्व. मोहनलाल
   - 2/3. नेमीचन्द पुत्र स्व0 मोहनलाल
   - 2/4. गीतादेवी पुत्री स्व0 मोहनलाल
   - 2/5. श्रवणीदेवी पुत्री स्व. मोहनलाल
3. रामदेव पुत्र भूराराम
4. रतनलाल पुत्र भूराराम

   समस्त जाति घवंशी (बलाई) निवासीगण गुवारड़ी तहसील दांतारामगढ जिला सीकर।
5. स्टेट बैंक ऑफ बीकानेर एण्ड जयपुर (हाल एस.बी.आई.) शाखा दांतारामगढ तहसील दांतारामगढ जिला सीकर।
6. राजस्थान ग्रामीण बैंक शाखा मण्ढा–सुरेरा तहसील दांतारामगढ जिला सीकर।
7. पटवारी, पटवार हल्का धोलासरी तहसील दांतारामगढ जिला सीकर।
8. तहसीलदार, तहसील दांतारामगढ जिला सीकर।

–अप्रार्थीगण

<u>आवेदन अंतर्गत धारा 251 (ए) राजस्थान काश्तकारी अधिनियम</u>

उपस्थिति–

1. श्री आनन्द राड़ वकील प्रार्थीगण की ओर सें।
2. श्री कमल किशोर राड़ वकील अप्रार्थीगण की ओर सें।

8-2-13

उपखण्ड अधिकारी दांतारामगढ

Scanned with CamScanner

दिनांक – 31.12.2019

नि र्ण य

आवेदन के संक्षिप्त में तथ्य इस प्रकार से है कि प्रार्थीगण को अपने खेत खसरा नम्बर 101 रकबा 0.76 हैक्टर वाके ग्राम गुवारड़ी पटवार हल्का धोलासरी तहसील दांतारामगढ में जाने हेतु अप्रार्थीगण की भूमि खसरा नम्बर 100, 99/2, 103, 99/4, 99/5 में से 20 फीट चौड़ा रास्ता पश्चिमी दिशा में ग्रेवल सड़क में मिलता हुआ चाहते है। चाहे गये रास्ते के अलावा प्रार्थीगण के पास अन्य कोई वैकल्पिक रास्ता नहीं है। उक्त रास्ते की प्रार्थीगण को पूर्ण आवश्यकता है जिसके बिना प्रार्थीगण अपने खातेदार भूमि के उपयोग उपभोग करने से पूर्णतया वंचित रह जाएंगे। अतः आवेदन अंतर्गत धारा 251–ए आरटीए पेश कर अंत में यह इस्तदुआ चाही गई कि प्रार्थीगण की खातेदारी कृषि भूमि खसरा नम्बर 101 रकबा 0.76 हैक्टर वाके ग्राम गुवारड़ी पटवार हल्का धोलासरी तहसील दांतारामगढ जिला सीकर में आवागमन व उपयोग उपभोग हेतु एकमात्र रासता जो खसरा नम्बर 100, 99/2, 103, 99/4, 99/5 में से वांछित 20 फीट चौड़ा रास्ता जो आगे पश्चिमी दिशा में ग्रेवल सड़क में मिलता हुआ रास्ता दिलवावें।

आवेदन पेश होने पर आवेदन दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थीगणों को जरिये नोटिस तलब किया गया। अप्रार्थीगण सं0 1 अप्रार्थी संख्या 2 का कायम मुकाम आवेदन बादसुनवाई स्वीकार किया गया। अप्रार्थी संख्या 1, 2/1 ता 2/5, 3, 4 की ओर से वकील श्री कमल किशोर राड़ हाजिर आये तथा शेष अप्रार्थीगण बावजूद सूचना अनुपस्थित रहने पर इनके विरूद्ध एकपक्षीय कार्यवाही अमल में लाई गई। वकील अप्रार्थी की ओर से जवाब पेश कर आवेदित रास्ते को राजस्व रिकॉर्ड में निःशुल्क अमल दरामद करने हेतु निवेदन किया तथा वांछित रास्ता राजस्व रिकॉर्ड में दर्ज करने पर अनापत्ति जाहिर की गई। तहसीलदार दांतारामगढ से रास्ते संबंधी तथ्यात्मक रिपोर्ट तलब की गई। आवेदन 251–ए आरटीए पर उभयपक्ष के विद्वान अधिवक्तागण की बहस सुनी गई।

बहस विद्वान अधिवक्ता उभयपक्ष पर मनन पर मनन किया तथा आवेदन में वर्णित तथ्यों का अवलोकन किया। तहसीलदार दांतारामगढ की रिपोर्ट का अधोपांत अवलोकन किया गया। तहसीलदार रिपोर्ट के अनुसार आवेदित रास्ता मौके पर चालू है। चाहे गये रास्ते में खसरा नम्बर 9/5 में से रकबा 0.0240 है0, खसरा नम्बर 99/4 में से रकबा 0.0228 है0, खसरा नम्बर 103 में से रकबा 0.234 है0 तथा खसरा नम्बर 99/2 में से रकबा 0.0048 हैक्टर रकबा

उपखण्ड अधिकारी, दांतारामगढ

Scanned with CamScanner

रास्ते में काम आ रहा है। चूंकि आवेदित रास्ते के संबंध में अप्रार्थीगण को कोई आपत्ति नहीं है तथा उक्त रास्ता निःशुल्क राजस्व रिकॉर्ड में अमल दरामद करने हेतु निवेदन किया गया है अतः प्रार्थीगण का आवेदन अंतर्गत धारा 251–ए आरटीए स्वीकार किया जाता है तथा प्रार्थीगण की खातेदारी भूमि खसरा नम्बर 101 रकबा 0.76 हैक्टर वाके ग्राम गुवारड़ी पटवार हल्का धोलासरी तहसील दांतारामगढ जिला सीकर में आने जाने एवं उपयोग उपभोग हेतु प्रार्थीगण की उक्त भूमि के मध्य सीमा से शुरू होकर अप्रार्थीगण की भूमि खसरा नम्बर 100, 99/2, 103, 99/4, 99/5 में से वांछित 20 फीट चौड़ा रास्ता जो आगे पश्चिमी दिशा में ग्रेवल सड़क में मिलता है को राजस्व रिकॉर्ड में अंकन कर तथा खसरा नम्बर 99/5 में से रकबा 0.0240 है0, खसरा नम्बर 99/4 में से रकबा 0.0228 है0, खसरा नम्बर 103 में से रकबा 0.234 है0 तथा खसरा नम्बर 99/2 में से रकबा 0.0048 हैक्टर को मौके पर नपती की जाकर सिवायचक गैर मुमकिन रास्ता राजस्व रिकॉर्ड में दर्ज कर नियमानुसार राजस्व अभिलेख में रकबा व लगान का अंकन किया जावे। तहसीलदार दांताामगढ को आदेशित किया जाता है कि पटवारी हल्का के साथ मौके पर जाकर उक्त मौके पर निशादेही की जाकर वांछित रास्ते को राजस्व रिकॉर्ड में गैरमुमकिन रास्ता दर्ज किया जावे।

यह आदेश आज दिनांक 31.12.2019 मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(अशोक कुमार)
उपखण्ड अधिकारी, दांतारामगढ

Scanned with CamScanner